Freight Pooling for Cement Industry

*357. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOLPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it a fact that Government have decided to terminate freight pooling for the cement industry ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether this decision is going to affect the expansion programmes of the cement producers in the South ; and

(d) if so, to what extent and the steps planned by Government to lessen the damage done to the producers in the South ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) Yes, Sir.

(b) The attention of the Hon'ble Member is invited to the statement made by me in the House on 14-4-1969.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Committee to Enquire into Status of Indian Women

*358. SHRI YAJNA DATT SHARMA : Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2183 on the 5th August, 1969 and state :

(a) whether the Committee to enquire into the status of Indian women, has since been set up by Government ; and

(b) if so, the terms of reference of the Committee ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच विवाद

*359. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता कि शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच काफी समय के विवाद चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो विवाद किन मुख्य बातों पर है ; और

(ग) इस विवाद को हल करने तथा कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवेमैंज यूनियन ने अपने 14-11-69 के पत्र में सुलह कराने के लिए केवल नीचे लिखे तीन मुद्दों का उल्लेख किया है ;

(i) छः कर्मकारों की बहाली ।

(ii) उन 2 कर्मकारों को वेतन-वृद्धियां पुनः दी जायें, जिनकी वेतन वृद्धियां रोक दी गयी हैं ; और

(iii) तालाबन्दी के कारण जो कर्मचारी 20 सितम्बर, 1968 से 2 नवम्बर, 1968 तक काम पर नहीं गये, उन्हें मजूरी दी जाये ।

तदनुसार इन मुद्दों पर सुलह कराने की कार्रवाई की गयी लेकिन कोई सुलह न हो सकी । सुलह अधिकारी द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पहले दो मुद्दो को अधिनिर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण को